

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प गोपडी  
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर - 56/2018

प्रार्थीगण :-

1. हडमान पुत्र किशनाराम
2. जालाराम पुत्र किशनाराम
3. गजाराम पुत्र जोगाराम
4. तीजों पत्नि जोगारा
5. हुकमाराम पुत्र खीमाराम
6. माली पत्नि खीमाराम
7. चौखाराम पुत्र रूपाराम
8. देवाराम पुत्र रूपाराम
9. कोजाराम पुत्र रूपाराम जातियान जाट निवासीयान  
साजियाली रूपजी राजाबैरी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर  
तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. हरचन्द पुत्र करना
2. जोराराम पुत्र गेनाराम
3. गोदूराम पुत्र गेनाराम
4. वेहनाराम पुत्र गेनाराम
5. भंवरा पुत्र गेनाराम
6. चम्पा पत्नि गेनाराम
7. हडमान पुत्र दीपाराम
8. लुम्बा पुत्र दीपाराम
9. नवलाराम पुत्र दीपाराम
10. तोगाराम पुत्र दीपाराम
11. धन्नाराम पुत्र नथाराम
12. पबुराम पुत्र बालाराम
13. लिखमाराम पुत्र मगाराम
14. केसराराम पुत्र मगाराम
15. डूंगराराम पुत्र मगाराम
16. सजनी पत्नि मगाराम
17. तगाराम पुत्र ईशाराराम
18. लालाराम पुत्र ईशाराराम
19. रेवताराम पुत्र नगाराम
20. भोमाराम पुत्र पीराराम
21. वेहनाराम पुत्र पीराराम
22. करनाराम पुत्र हिम्मताराम
23. गिरधारीराम पुत्र गोकलाराम
24. केहनाराम पुत्र गोकलाराम
25. लिखमाराम पुत्र गोकलाराम
26. बाबुराम पुत्र वीरमाराम
27. भैराराम पुत्र मोडाराम



(भागीरथ राम)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं मदन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा केम्प.. 21/5/18

28. खंगारसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासीयान

-साजियाली रूपजी राजाबैरी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश

दिनांक : 26.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार गोपडी में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा के खेत खसरा न0 69 रकबा 49.8 बीघा, ख0न0 72 रकबा 0.04 बीघा, ख0न0 73 रकबा 0.11 बीघा, ख0न0 74 रकबा 0.05 बीघा, ख0न0 76 रकबा 12 बीघा, ख0न0 113 रकबा 44.16 बीघा व ख0न0 119 रकबा 0.16 बीघा सरहद मौजा साजियाली रूपजी राजाबैरी तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 31 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन दिनांक 17.04.2018 को जारी किया गया। विप्रार्थीगणों को जारी सम्मन बाद प्राप्ति की रजिस्टर्ड रसीदे पेश हुई। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

विप्रार्थीगण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित। विप्रार्थीगणों एतराज कर जाहिर किया कि उनका खेत गांव की सीमा पर है। गांवों की सीमा ओवरलैप होने से भूमि कम पडती है। विप्रार्थीगणों के एतराज का ध्यान में रखते हुए यदि प्रार्थीगणों व विप्रार्थीगणों के खेत का सीमाज्ञान कर भूमि पूरी होने पर ही पत्थरगड्डी की जावे अन्यथा वर्तमान सीमा ही पर पक्षकारन का कब्जा कास्त रहेगा।

अतः विप्रार्थीगणों के एतराज को ध्यान में रखते प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण उक्त आराजी में सीमाज्ञान कराने की सहमती दी। अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भूअ साजियाली को निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर सीमाज्ञान करे। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों की भूमि मौके पर जमाबंदी अनुसार खसरा की भूमि पूरी होने पर ही पत्थर गड्डी की जावे अन्यथा वर्तमान सीमा ही रखी जावे। नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे/वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हो। भू- मापक कर्ता का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो।

आदेश न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)

शीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा कैम्प-21/4/18